

के. एन. अनंतराज गुसा

बनाम

श्रीमती डी.वी. उषा विजय कुमार

30 नवंबर, 2007

[तरुण चटर्जी और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

किराया नियंत्रण और बेदखली

कर्नाटक किराया अधिनियम, 1999 -धारा 27 (2) (R) सपठित धारा 31 -बेदखली याचिका-परिसर के विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण पर परिसर की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर -निचली अदालत ने इंकार कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय का निष्कासन का निर्देश-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: बेदखली उचित नहीं। बेदखली इस निष्कर्ष के बिना प्रदान की गई थी कि मकान मालिक उचित उपयुक्त आवास के कब्जे में नहीं थी और परिसर को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। पुनर्विचार के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया।

प्रत्यर्थी मकान मालिक एक विधवा ने अपीलीय/किरायेदारी मुकदमा परिसर (आवासीय परिसर) से किरायेदार की बेदखली याचिका अंतर्गत धारा धारा 27 (2) (R) सपठित धारा 31 कर्नाटक किराया अधिनियम के तहत इस आधार पर दायर की कि परिसर पुराना और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था

जिसे नया निर्माण करने के लिए ध्वस्त करने की आवश्यकता थी और यह कि मकान मालकिन को अपने और अपने बच्चों के लिए उपयोग और व्यवसाय के लिए परिसर की आवश्यकता थी। वह अपने ससुर के घर रहती थी। लघु कारण न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मकान मालकिन यह साबित करने में विफल रही कि उसे विध्वंस और पुनर्निर्माण के बाद परिसर कि वास्तविक आवश्यकता थी और उसके पास कोई अन्य उचित रूप से उपयुक्त आवास नहीं था। आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी की बेदखली का निर्देश देते हुए पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत की गयी। इस कारण से यह वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को न्यायालय ने यह अवधारित किया कि-

1. लघु करण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा उलटने को उचित नहीं ठहराया। उच्च न्यायालय ने इस संतुष्टि के बिना कि क्या प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की बेदखली की निर्धारित आवश्यक शर्तों को धारा 27 (2) (R) कर्नाटक किराया अधिनियम के तहत पूरा किया था। (पैरा 4) (752-H; 753-A)

2. धारा 27(2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी परिसर के कब्जे की वसूली के लिए अदालत द्वारा किरायेदार के खिलाफ कोई आदेश या डिक्री नहीं दी जाएगी। धारा 27(2)(और) को पढ़ने से स्पष्ट रूप

से पता चलता है कि यदि किराए पर दिया गया परिसर आवश्यक है, तो बेदखली का डिक्री या कब्जा वापस पाने का आदेश अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है, चाहे वह उसी रूप में हो या पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण के बाद हो। मकान मालिक द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कब्जे के लिए यदि:

(i) वह उक्त परिसर का मालिक है और

(ii) मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास कोई अन्य उचित उपयुक्त आवास नहीं है।

3. वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी स्वीकार्य रूप से सूट परिसर का सह मालिक है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक सह मालिक को सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर किसी किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार है। रिकार्ड से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी और उसके बच्चों को उसके ससुर द्वारा जिस घर में वे वर्तमान में रह रहे हैं, बेदखली का कोई खतरा है। इस मामले का यह पहलू उच्च न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया था। बेदखली का कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि प्रत्यर्थी के पास उचित उपयुक्त आवास जो कि अधिनियम की धारा 27 (2) (R) के तहत अनिवार्य आवश्यकता है, का कब्जा नहीं है। (Para-4) (754-G;755-B,C)

4. धारा 27(2) (R) के तहत शर्त को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि अदालत को यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस परिसर को किराए पर दिया गया है उसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है और विध्वंस के बाद उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके बाद ही पुनर्निर्माण के बाद इसके उपयोगकर्ता के सवाल पर विचार किया जाएगा। उच्च न्यायालय के इस आदेश से यह स्पष्ट होगा कि एकमात्र आधार जिस पर लघु वाद न्यायालय के आदेश को उलट दिया गया था, वह यह था कि प्रत्यर्थी को सूट परिसर को ध्वस्त करने और नए निर्माण करने और योजनाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। विध्वंस और पुनर्निर्माण के आधार पर बेदखली और फिर कब्जे के लिए उसी के उपयोग के लिए डिक्री देने से पहले अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि:-

(i) सूट परिसर इतना जीर्ण-शीर्ण है कि इसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है।

(ii) मकान मालिक के पास विध्वंस के बाद सूट परिसर का पुनर्निर्माण करने की क्षमता है।

(iii) स्वीकृत योजना संबंधित प्राधिकारी से ली जाये। (Para 5)
(755-D, E, F, G; 756-A)

5. उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर कार्यवाही की कि प्रत्यर्थी को स्वयं तथा उसके बच्चों के व्यापार के लिए मुकदमा परिसर की आवश्यकता थी। यह अधिनियम की धारा 27(2)(और) में परिकल्पित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि ऊपर बताई गई सभी शर्तें, मकान मालिक द्वारा उनके संबंध में ठोस सबूत पेश करके पूरी की गई हैं। केवल इच्छा की अभिव्यक्ति मकान मालिक को अधिनियम की धारा 27(2)(और) के तहत बेदखली का डिक्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगी।(Para 5) (756-A, B, C)

6. उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, बेंगलूर के आदेश को पलटते हुए मामले के उस पहलू का भी पालन नहीं किया था कि बेदखली याचिका न केवल अधिनियम की धारा 27(2)(और) के तहत दायर की गई थी बल्कि अधिनियम की धारा 31 के तहत भी, जिसका सहारा एक विधवा के लिए केवल एक बार उपलब्ध है।(Para 6) (756-C, D)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5547/2007

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूर के H.R.P.P. No. 366/2004 में निर्णय एवं अंतिम आदेश

एस.एन. भट्ट, अपीलार्थी की ओर से।

के. मारुति राव, के. राधा एवं अंजनी अयागरी, प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय तरुण चटर्जी द्वारा दिया गया।

1. अभिनिर्धारित किया गया।

2. 2002 की HRC No. 233 वाली एक बेदखली याचिका आवासीय परिसर नं. 100 सर्वेयर स्ट्रीट, बेंगलोर (संक्षेप में मुकदमा परिसर) से अपीलकर्ता को बेदखल करने के लिए मुख्य न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय बेंगलोर के समक्ष अंतर्गत धारा धारा 27 (2) (और) सपठित धारा 31 कर्नाटक किराया अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") इस आधार पर पेश की गई कि मुकदमा परिसर पुराना है, जीर्ण-शीर्ण हालत में है तथा नया निर्माण करने के लिए इसे ध्वस्त करना आवश्यक था तथा प्रत्यर्थी को मुकदमा परिसर की ध्वस्त तथा पुनर्निर्माण के पश्चात् स्वयं तथा उसके बच्चों के लिए उपयोग व व्यवसाय के लिए आवश्यकता थी क्योंकि वह अपने ससुर के मकान में रह रही थी। प्रत्यर्थी का यह भी मामला था कि अपीलार्थी मुकदमा परिसर में 20 साल से अधिक समय से रह रहा है और यह कि उसे अपना उचित आवास ढूंढना चाहिए और इसलिये वह बेदखल होने के लिए उत्तरदायी था।

3. अपीलकर्ता द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें बेदखली याचिका में लगाए गए आरोपों से इंकार किया गया था और यह

कहा गया था कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता को बेदखल करने का हकदार नहीं था क्योंकि उसे अपने सद्भाविक उपयोग व व्यवसाय के लिए सूट परिसर की आवश्यकता नहीं थी। लिखित बयान में आगे यह कथन किया गया कि चूंकि प्रत्यर्थी मुकदमे के परिसर की एकमात्र मालिक नहीं थी, केवल उसके कहने पर दायर बेदखली याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए था। यह भी कथन किया गया कि सूट परिसर की हालत इतनी जर्जर नहीं थी कि विध्वंस और पुनर्निर्माण आवश्यक हो। लघु वाद कारण न्यायालय, बेंगलोर के मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रत्यर्थी की बेदखली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, बेंगलुरु के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसका शीर्षक एच.और.और.पी. नंबर 366/2004 है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2006 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था जिससे पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई थी और अपीलकर्ता को मुकदमा परिसर से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मुकदमा परिसर को खाली करने और उसका कब्जा प्रत्यर्थी सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। यही आदेश है उच्च न्यायालय में,

जिसे अब एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, जिसके संबंध में अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ लघु वाद न्यायालय के आदेश और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों की जांच की। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा इस बात से संतुष्ट हुए बिना कि क्या प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 27 (2) (और) के तहत निर्धारित अपीलकर्ता को बेदखल करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया है, लघु वाद न्यायालय के फैसले को पलटना उचित नहीं था। अधिनियम का अध्याय 6 बेदखली के विनियमन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 27 किरायेदारों को बेदखली से बचाने से संबंधित है। धारा 27 की उपधारा (1) स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी अन्य कानून या अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, किसी भी परिसर के कब्जे की वसूली के लिए कोई भी आदेश या डिक्री मकान मालिक के पक्ष में नहीं किया जाएगा, सिवाय धारा 27 की उपमद (2) में दिए गए प्रावधान के धारा 27 की धारा (2) धारा 27 की उपधारा (2) न्यायालय को निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर, एक या अधिक परिसर के कब्जे की वसूली के लिए आदेश देने का अधिकार देती है। उसमें बताए गए आधार। धारा 27 की उपधारा (2) का खंड (और) ऐसा ही एक आधार है और वर्तमान मामले में शामिल है जो इस प्रकार है:

"(और) कि किराए पर दिए गए परिसर की आवश्यकता, चाहे उसी रूप में हो या पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण के बाद, मकान मालिक द्वारा स्वयं के लिए या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए, यदि वह उसका मालिक है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसके लाभ के लिए परिसर लिया गया है और मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास कोई अन्य उचित उपयुक्त आवास नहीं है..."

हमने इस प्रावधान अर्थात अधिनियम की धारा 27 (2) (और) की विस्तार से जांच की है। इस प्रावधान की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, हम संक्षेप में इस प्रकार बताते हैं: धारा 27 (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी परिसर के कब्जे की वसूली के लिए न्यायालय द्वारा किरायेदार के खिलाफ कोई आदेश या डिक्री नहीं दी जाएगी। धारा 27 (2) (और) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि किराए पर दिया गया परिसर आवश्यक है, तो बेदखली का डिक्री या कब्जा वापस पाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है, चाहे वह उसी रूप में हो या पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण के बाद हो। मकान मालिक द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कब्जे के लिए यदि:

(i) वह उक्त परिसर का मालिक है और (ii) मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास कोई अन्य उचित उपयुक्त आवास नहीं है।

उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर ही न्यायालय किरायेदार के खिलाफ वाद परिसर के कब्जे का आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि प्रत्यर्थी की बेदखली याचिका को मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, बेंगलोर द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी यह साबित करने में विफल रही थी कि विध्वंस तथा पुनर्निर्माण के बाद सूट परिसर को उसके और उसके बच्चों द्वारा उपयोग और कब्जे के लिए आवश्यक था। और प्रत्यर्थी यह साबित करने में विफल रही कि उसके और उसके बच्चों के पास कोई अन्य उचित उपयुक्त आवास नहीं था। प्रत्यर्थी की वास्तविक सद्भाविक आवश्यकता के इस निष्कर्ष को संशोधन में उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था। इसलिए, आइए जांच करें कि क्या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, बेंगलोर के निष्कर्ष को उलटना उचित था और क्या अधिनियम की धारा 27 (2) (और) के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया है ताकि अपीलार्थी को वाद परिसर से बेदखल करें। जहां तक धारा 27 (2) (और) की आवश्यकताओं का संबंध है, मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, बेंगलोर के निष्कर्ष को उलटते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

"पहली नज़र में यह भी सामने आया है कि याचिकाकर्ता को अपने और अपने बच्चों के लिए आवास की आवश्यकता है

और उसे निर्माण को ध्वस्त करने और नया निर्माण शुरू करने के लिए प्राधिकरण से योजना प्राप्त करने की आवश्यकता है। मामले के इस पहलू को ट्रायल कोर्ट द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है इसलिए, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता का मामला बनता है। परिसर को उसके कब्जे के लिए निर्माण करने और अपने बच्चों द्वारा निजी उपयोग के लिए देने की आवश्यकता है क्योंकि दावा वास्तविक है, "

जैसा ऊपर उद्धृत किया गया है, उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, बेंगलूर के आदेश को उलट दिया और माना कि प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 27 (2) (और) के तहत बेदखली के आदेश का हकदार था। जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, बेदखली के आदेश या डिक्री पारित होने से पहले न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि किराये पर दिया गया परिसर मकान मालिक द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यवसाय के लिए आवश्यक है, यदि वह इसका मालिक है और मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास कोई अन्य उचित उपयुक्त आवास नहीं है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी स्वीकृत रूप से सूट परिसर का सह-मालिक है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सह-मालिक को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार है। हालाँकि, इस पहलू पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए

विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि क्या प्रत्यर्थी मुकदमा परिसर के संबंध में मालिक या सह-मालिक था। अब, सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्थी और उसके बच्चों के पास उचित रूप से उपयुक्त आवास है। प्रत्यर्थी के अनुसार, वह अपने बच्चों के साथ अपने ससुर के घर में रह रही है। इसलिए, सवाल यह होगा कि क्या इस आवास को उचित रूप से उपयुक्त आवास कहा जा सकता है। बेशक, रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता है कि प्रत्यर्थी और उसके बच्चों को उसके ससुर द्वारा उस घर से बेदखल करने की कोई धमकी दी गई है जिसमें वे वर्तमान में रह रहे हैं। हमें डर है कि मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। बेदखली का कोई भी आदेश पारित करने से पहले, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी के पास उचित रूप से उपयुक्त आवास नहीं था, जो अधिनियम की धारा 27 (2) (और) के तहत अनिवार्य आवश्यकता है।

5. इसके अलावा, इस मामले का एक और पहलू भी है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा किरायेदार को बेदखल करने की मांग अधिनियम की धारा 27 (2) (और) के तहत यह कथन करते हुए की गई थी कि पहले से मौजूद भवन के ध्वस्त होने तथा पुनर्निर्माण के पश्चात् सूट परिसर की प्रत्यर्थी तथा उसके बच्चों को स्वयं के उपयोग और

व्यवसाय के लिए आवश्यकता थी। इस शर्त को संतुष्ट करने के लिए जैसा की अधिनियम की धारा 27 (2)(R) में उल्लेखित किया है कि यह आवश्यक है कि अदालत को यह भी पता लगाना चाहिए कि किराये के परिसर को ध्वस्त करने की आवश्यकता है और यह कि विध्वंस के बाद इसका पुनर्निर्माण किया जायेगा। इसके बाद ही पुनर्निर्माण के बाद इसके उपयोगकर्ता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण आदेश जैसा कि जिस एक आधार पर मुख्य न्यायाधीश लघु कारण न्यायालय, बेंगलोर का आदेश उलट दिया गया वह यह कि प्रत्यर्थी को चाहिए था कि मुकदमें के परिसर को ध्वस्त करने तथा उस पर नया निर्माण करने तथा उसके लिए प्राधिकरण से योजना प्राप्त करनी चाहिए थी। हमारे विचार में विध्वंस तथा पुनर्निर्माण तथा उसी परिसर को उपयोग में लेने के लिए बेदखली की डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय को यह संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि:-

- (i) सूट परिसर इतना जीर्ण-शीर्ण है कि इसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है।
- (ii) ध्वस्त करने के पश्चात् मकान मालिक के पास सूट परिसर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।
- (iii) संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति योजना प्राप्त करें।

उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर आगे बढ़ा कि प्रत्यर्थी को अपने और अपने बच्चों के व्यवसाय के लिए सूट परिसर की आवश्यकता थी और उसे ध्वस्त करने और उसी पर एक नया निर्माण करने की आवश्यकता थी। हमारे विचार में यह अधिनियम की धारा 27 (2) (R) में परिकल्पित आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि ऊपर बताई गई सभी शर्तें, मकान मालिक द्वारा उसी के संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत पेश करके पूरी की गई हैं। केवल एक इच्छा की अभिव्यक्ति मकान मालिक को अधिनियम की धारा 27 (2)(R) के तहत बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगी।

6. इस मामले में शामिल एक अन्य पहलू को बताये जाने की आवश्यकता है क्योंकि बेदखली याचिका न केवल अधिनियम की धारा 27 (2) (R) के तहत दायर की गई थी, बल्कि अधिनियम की धारा 31 के तहत भी दायर की गई थी, जिसका सहारा एक विधवा केवल एक बार ही ले सकती है। हालाँकि, हमें इस प्रश्न पर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मामले का कोई भी दृष्टिकोण हो, मुख्य न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय, बेंगलोर के आदेश को उलटते हुए उच्च न्यायालय ने भी इसका पालन नहीं किया था और इसलिए हमारे लिए भी इस अपील में इस प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है।

7. उपरोक्त कारणों से हम उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखने में असमर्थ हैं और तदनुसार उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय रद्द किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाता है कि वह उपर दिये गये निष्कर्ष के आलोक में निर्णय पारित करे। पुनरीक्षण याचिका को निर्णित करते समय उच्च न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह या तो पक्षकारान को उच्च न्यायालय में साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे या प्रश्न अवधारित कर मुख्य न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय, बेंगलोर को उक्त पर साक्ष्य पेश करने तथा उस पर अपना निष्कर्ष देने के लिए निर्देश देगा जो कि उच्च न्यायालय को प्रेषित किए जा सकते हैं तथा उच्च न्यायालय को प्रेषित करने के उपरांत, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका को प्रस्तुत साक्ष्य तथा पूर्व से प्रस्तुत साक्ष्य व निष्कर्ष की रोशनी में इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 6 माह के भीतर किसी भी पक्षकार को बिना कोई अनावश्यक स्थगन दिए फैसला करेगा।

8. उपरोक्त कारणों से, ऊपर बताई गई सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। अपील

आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सृष्टि चौधरी आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।